

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, बिलानी

दृष्टान् रवेन्सन्सर- 01592- 233475/233474 E-mail Id : deoelijn@gmail.com
कामाक.-जिल्हाइ/प्रांत/बुंग/मान्यता/2012/प्रबन्धक

दिनांक:- 30.10.11

85/
विरला सूल,
०५ दिलानी

शिख्य - निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ।। के उगा नियम (4) के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण पत्र।


प/महोदया,

(१९.१०.११)

आपके दिनांक:- २३ अक्टूबर 2012 के आदेदन और इस संबंध में विधालय के साथ पश्चात्यावर्ती
(पत्राधार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मे, १५/१० से १५/११) तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा ८ से कक्षा ४
मात्र २०१२ से दिनांक:- तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा ८ से कक्षा ४
उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित गल्ज़ों द्वारा मूल्य किए जाने के अध्याधीन हैं:-

- १ मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई साध्यता विवक्षित नहीं है।
- २ गिरावट नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाध्य १) और निःशुल्क एवं अनिवार्य गत शिक्षा एवं अधिकार नियम 2010 (उपाध्य २) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- ३ गिरावट कक्षा १ से उस कक्षा के बालकों की सख्ता के २५ प्रतिशत तक आस-बॉल के कमज़ोर कर्मों और अन्यायी पूर्ति रामुः के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- ४ पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विधालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- ५ सोसायटी/विधालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कॉलरशिप प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- ६ विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा हो, प्रवेश जन्म रथन, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें दिलानी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तराधिकारी घोषित गया है।
- ७ गिरावट समिश्रित करेगा कि:-
- (I) प्रवेश दिनों गए किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुरूपीय नहीं किया जायेगा। गा उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- (II) किसी भी बालकों गारीरिक टण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
- (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधेष्य नहीं की जायेगी।
- (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (V) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निश्वक्ता ग्रस्त/विशेष अंवश्यकता वाले विधार्थियों का समावेश किया जाना।
- (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
- (VIII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।


Principal
BIRLA SCHOOL PILANI
PILANI (RAJ.)




Manager
Birla School Pilani
Pilani - 333031 (Rajasthan)
CBSE Affl. No. : 1730009

- 8 विधातय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक घात्य घर्षा के आधार पर प्रत्यक्षम कर फलन करेगा।
- 9 विधालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकष्ट, विधातय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुचाल से विधायियों का नामांकन करेगा।
- 10 विधातय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विधायियों के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं—
- कुल निर्मित शत्रु
- कोडा स्थान का क्षेत्रफल
- कक्ष कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडार कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
- प्रयोजन सुविधा
- मिड-डे—मील पकाने के लिए रसोई
- बाधा रहित पहुंच
- अध्यापक पदन सामग्री / कोडा खेलकुद उक्सरों / पुस्तकालय की उपलब्धता
- 11 विधालय के परिसरों के भीलर या उसके बाहर विधायियों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कराएं नहीं छलाई जायेगी।
- 12 विधातय भवनों या अन्य संरचनाओं या कोडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 13 विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा घलाया जा सकता है।
- 14 विधालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं घलाया जा सकता है।
- 15 विधातय के तेखाओं के चार्टड अकाउन्टेंट द्वारा तपरीका की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति पत्थेक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) मुन्हूनू को भेजी जानी चाहीए।
- 16 आपके विधालय को अंगठित मान्यता कोड संख्याक... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
- 17 विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निवेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उज्ज्वलन, बीकानेर / जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) मुन्हूनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संवादी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करते या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
- संलग्न उपार्थ-11 के अनुसार अन्य कोई शर्त।
20. R.T.E. 2009 के दायरह मापदण्ड की घृती अपर्याप्त है।

भवदीय,


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, मुन्हूनू

Principal
BIRLA SCHOOL PILANI
PILANI (RAJ.)



Manager
Birla School Pilani
Pilani - 333031 (Rajasthan)
CBSE Affl. No.: 1730009